न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहाबाद, जिला बारां राजस्थान

पीठासीन अधिकारी – श्री मुकेश चन्द्र मीना (आर.ए.एस.)

दावा संख्या 16/24 दायरा दिनांक 19.06.2024

मदनमोहन पुत्र नाथूलाल उम्र 42 वर्ष जाति किराड निवासी कलोनी तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान वादी

बनाम

1–रेशमसिंह पुत्र टहलसिंह जाति जट् सिक्ख निवासी ग्राम गणेशपुरा तहसील व जिला बूंदी राजस्थान

2–राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार शाहाबाद जिला–बारां राजस्थान प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 183, 188 आर.टी.एक्ट

<u>निर्णय–दिनांक 14.05.2025</u>

उपस्थित–

वादी की ओर से – श्री हेमराज नामदेव एडवोकेट

प्रतिवादीगण की ओर से – एकपक्षीय

वाद के तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम कलोनी पटवार क्षेत्र मुण्डियर तहसील शाहावाद में आराजी ख0नं0 852/498 श0नं0 498/1 रकबा 8.00 बीघा कृषि भूमि स्थित है। जिसे विवादित आराजी के नाम से सम्बोधित किया गया है। उक्त विवादित आराजी वादी विकलांग भूमिहीन को दिनांक 18.05.2006 को आवंटन की जाकर दखल तथा कब्जा दिया गया है तभी से वादी उक्त विवादित आराजी पर साधिकार काबिज हो निरन्तर काश्त करता चला आ रहा है, आवंटन शर्तों की पालना के अनुक्रम में गैरखातेदारी ततपश्चात खातेदारी दर्ज की गई है जो उक्त आराजी वर्तमान में वादी के खातेदारी में दर्ज है। वादी हाथ व पैर से विकलांग है जो ट्राई साईकिल से चलता फिरता है और उक्त आराजी को अपने भाई बन्धुओं के सहयोग से काश्त करता है। गत वर्ष वादी के पास हंकाई जुपाई तथा खाद बीज की व्यवस्था नहीं होने से विवादित आराजी खाली पडी रही जिस पर प्रतिवादी ने जबरन ताकत के बल पर फसल बोकर अनाधिकृत कब्जा कर लिया वादी ने विरोध किया तो प्रतिवादी कहने लगा कि मैंने लागत लगाकर फसल वो दी है इस कारण इस वर्ष मुझे फसल कर लेने दो मैं तुम्हे मुनाफा राशि अदा कर दूंगा परन्तु प्रतिवादी ने फसल काटने के बाद भी वादी को कोई मुनाफा राशि अदा [illegible] कब्जा छोडने से भी इनकार कर दिया है। वादी ने [illegible] सीमाज्ञान का आवेदन प्रतिवादी कम 2 के समक्ष पेश किया, जिस पर हल्का पटवारी [illegible] विवादित भूमि पर प्रतिवादी का कब्जा होने से सीमाज्ञान करने [illegible] विवादित आराजी [illegible] खाते तथा [illegible] कोई हक व अधिकार नहीं [illegible] प्रतिवादी कब्जे काश्त की है जिस पर प्रतिवादी का कोई हक व अधिकार नहीं ... वादी का कब्जा अनाधिकृत होकर अतिचारी की श्रेणी में आता है जिसे बेदखल करा कर वादी पुनः कब्जा प्राप्त करने का वैधानिक अधिकारी है। भविष्य में प्रतिवादी वादी के

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Chandra Meena
Date: 2025.06.18 13:51:28 IST
Reason: SelfAttested

14.05.2025

उपखण्ड अधिकारी
शाहबाद

कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करे इस हेतु वादी खिलाफ प्रतिवादी स्थायी निषेधाज्ञा भी प्राप्त करने का हकदार हैं, आदि।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को तलब किया गया। प्रतिवादी के विरूद्व बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर दिनांक 24.03.2025 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादी की ओर से साक्ष्य में स्वयं वादी मदनमोहन के बयान कराये और नकल जमाबंदी ग्राम कलोनी संवत 2075–78 खाता संख्या 283 को प्रदर्श 1, नकल नक्शा ट्रेस ग्राम कलोनी को प्रदर्श 2, चतुर्थसीमा प्रमाणीकरण को प्रदर्श 3, नकल खसरा गिरदावरी को प्रदर्श 4 तथा मौका रिपोर्ट दिनांक 10.05.24 को प्रदर्श 5 के रूप में प्रदर्श कराया।

वहस सुनी गई, पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रदर्श 1 जमाबंदी अनुसार विवादित आराजी ख0नं0 852/498 श0नं0 498/1 रकबा 8.00 बीघा वादी के रिकार्डेड खातेदारी की होना प्रमाणित है, जो नक्शे में तरमीम होकर वादी के कब्जा काश्त की होना प्रमाणित है। प्रस्तुत मौका रिपोर्ट प्रदर्श 5 अनुसार वादी की उक्त भूमि पर प्रतिवादी का कब्जा होना पाया गया है। प्रतिवादी न तो हाजिर आया और न ही प्रतिवादी की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य अथवा दस्तावेज पेश किया गया है जो विवादित आराजी पर प्रतिवादी के कब्जे को वैध ठहराता हो, ऐसी स्थिति में प्रतिवादी की हेसियत विवादित आराजी पर अतिक्रमी की होना साबित है, जो बेदखल किये जाने योग्य है।

अतः वादी का वाद अन्तर्गत धारा 183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायहित में स्वीकार किया जाकर वादी के खाते की विवादित आराजी ख0नं0 852/498 श0नं0 498/1 रकबा 8.00 बीघा ग्राम कलोनी तहसील शाहाबाद पर से प्रतिवादी कम 1 को बेदखल किया जाकर स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि प्रतिवादी कम 1 भविष्य में वादी के कब्जे काश्त में कोई दखलन्दाजी नहीं करे। पालनार्थ तहसीलदार शाहाबाद को लिखा जावे। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 14.05.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। प्रकरण पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

14.05.2025

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Mukesh Chandra Meena
Date: 2025.06.18 13:51:28 IST
Reason: SelfAttested